राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1696/2010/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–प्रतिकरापवचंन, भरतपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स धर्मचन्द एण्ड ब्रादर्स,
नई मण्डी, कुम्हेर, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 274/उपा–अपील्स/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2006 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 24,721/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.09.2006 को वाहन संख्या आरजे 05–1आर–4645 की जांच करने पर वाहन में कुम्हेर से भरतपुर के लिये 61 बोरी सरसों परिवहनित करना पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा कोई बिल न होना बताया, जिसके तहत धारा 76(6) के तहत नोटिस दिया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब में कथन किया कि उक्त माल का बिल संख्या 515 जारी कर भरतपुर के भागीदार को दे दिया गया था। उक्त बिल का जमा खर्च नकल बही व स्टॉक रजिस्टर में उपलब्ध है। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर एवं 76(2) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण नियमानुसार धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

5. राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है :–

76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "Challans" and "Bilities", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.

प्रस्तुत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दू एवं निर्विवाद सत्य यही है कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल का परिवहन बिना बिल के किया जा रहा था। अतः यह अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन है, जिसके लिये धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपणीय है।

प्रस्तुत प्रकरण में वक्त जांच वाहन चालक के पास परिवहनित किये जा रहे माल के कोई विधिक दस्तावेज नहीं थे। अतः सशक्त अधिकारी के द्वारा धारा 76(6) के तहत जो शास्ति आरोपित की है, वह पूर्ण रुप से विधिसम्मत है। प्रकरण में वक्त जांच के समय कोई दस्तावेज नहीं थे, यह धारा 76(2)(b) का स्पष्ट उल्लंघन है। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की जांच इसलिये अपेक्षित नहीं थी क्योंकि उनका पूर्व में कोई अस्तित्व नहीं था। पत्रावली के पृष्ठ संख्या 8 पर वाहन चालक द्वारा स्पष्ट रुप से स्वीकार किया है कि उसके पास कोई बिल नहीं है एवं बिल पेश करने में भी असमर्थता प्रकट की है। प्रत्यर्थी द्वारा शास्ति से बचने हेतु दिनांक 28.09.2006 को जवाब दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर दिया, जो कि पश्चातवर्ती सोच का परिचायक था। उक्त प्रकरण में मैसर्स डी.पी. मेटल्स के अर्न्तगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त लागू नहीं होते है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति उचित है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त करते हुये विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य